भारत सरकार

**इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2012**

जिसका उत्तर 03 अगस्त, 2018 को दिया जाना है।

12 श्रावण, 1940 (शक)

## आधार डेटाबेस के उल्लंघन की घटनाएं

**2012. श्री संजय सिंह**:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यूआईडीएआई द्वारा देश के नागरिकों के संग्रहित मेटा-आंकड़ों के ब्यौरे क्या हैं;

(ख) क्या सरकार अथवा प्राधिकृत निकायों/एजेंसियों/संस्थानों द्वारा आधार के साथ अन्य आंकड़ों जैसे कि जाति एवं धर्म इत्यादि को जोड़ने की संभावना है, और इस परिदृश्य को रोकने के लिए यूआईडीएआई द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) आधार आंकड़ाधार के दुरुपयोग/लीक/हैकिंग किए जाने के कितने मामले हैं जिनकी मंत्रालय को जानकारी है; और

(घ) विगत चार वर्षों में सभी उल्लंघनों तथा सभी मामलों से संबंधित की गई कार्रवाई प्रतिवेदनों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

**इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया)**

**(क) और (ख)** : आधार अधिनियम, 2016 और आधार (नामांकन और अद्यतनीकरण) विनियम, 2016 के विनियम 3 और 4 के अनुसार यूआईडीएआई केवल नाम, जन्म तिथि, लिंग, आवासीय पता, चेहरे की छवि, सभी दस उगलियों की छाप (फिंगर प्रिंट) और दोनों आंखों की स्कैन इमेज एकत्र करता है। निवासी वैकल्पिक रूप से अपना मोबाइल नम्बर और ई-मेल आईडी दे सकते हैं। यूआईडीएआई नागरिकों का मेटाडेटा एकत्र नहीं करता।

आधार अधिनियम, 2016 और आधार (नामांकन और अद्यतनीकरण) विनियम, 2016 के विनियम 4(6) के अनुसार यूआईडीएआई निवासियों की नस्ल, धर्म, जाति, जनजाति, जातीयता, भाषा, पात्रता, आय का रिकॉर्ड अथवा चिकित्सकीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में कोई जानकारी एकत्र नही करता है।

आधार अधिप्रमाणन अथवा ई-केवाईसी के मामले में यूआईडीएआई को अधिप्रमाणन के स्थान अथवा प्रयोजन से संबंधित कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है।

**(ग)** : यूआईडीएआई डेटाबेस से आधार डेटा के दुरूपयोग अथवा लीकेज अथवा हैकिंग से संबंधित कोई मामला नहीं हुआ है।

**(घ)** : उपर्युक्त के आलोक में यह प्रश्न ही नहीं उठता है।

******